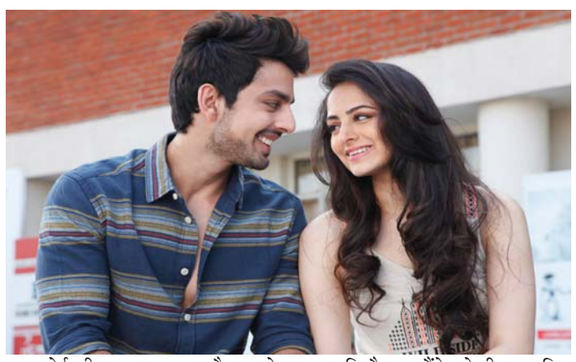

कथन और कर्म का अंतर्विरोध पाखंड

कथन और कर्म का अंतर्विरोध पाखंड है। संविधान की उद्देशिका पठनीय है। उद्देशिका के अनुसार 'हम भारत के लोगों ने दृढ़ संकल्प होकर संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित किया है।' लेकिन संविधान प्रवर्तन के 67 साल बाद भी 'हम भारत के लोग' का अता पता नहीं है। हम जाति और पंथ भेद में विभाजित समाज हैं। भारत अपने लोकतंत्र और वैश्विक दृष्टि के चलते अंतरराष्ट्रीय चर्चा में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की प्रतिष्ठा बढ़ी है बावजूद इसके अनुसूचित जातियों के प्रति बंधुत्व भाव नदारद है। जातिगत भेदभाव और अपमान की घटनाएं हैं। दलित उत्पीड़न और हिंसा की वारदातों से भारत की छवि खराब हो रही है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की रिपोर्ट के अनुसार प्रत्येक 18 मिनट में दलितों के विरुद्ध एक अपराध हो जाता है। नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो के अनुसार 2013 में 39408 व 2014 में 47664 घटनाएं हुईं। गुजरात की ताजी घटना को लेकर संसद में हंगामा हुआ है। दलित उत्पीड़न की अनेक घटनाओं पर संसद पहले भी उबाल में आई है, लेकिन राज्यों की सतर्कता और समाज की मानसिकता में परिवर्तन नहीं आए। गुजरात की घटना में कथित गोरक्षकों ने गोवध की शंका में दलितों को पीटा। उत्तर प्रदेश में भी गोवध के विरूद्ध एक हत्या हुई थी। गोवध निषेध पर 24 राज्यों में कानून हैं। ऐसी आशंका या गोवध की वास्तविक घटना पर पुलिस को सूचना देने की आवश्यकता होती है। बेशक भारतीय परंपरा में गाय अबध्य है, लेकिन कानून तोड़ना कहां का न्याय या धर्म है? हम संविधान और संसद व विधानमंडल के कानूनों की मर्यादा नहीं तोड़ सकते। कानून तोड़ना कोई आदर्श पौरुष पराक्रम नहीं है। इससे सामाजिक सद्भाव को आग लगती है और राष्ट्र राज्य अपने मूल उद्देश्यों पर काम नहीं कर पाता। ऐसे भेदभाव और हिंसा के चलते व्यापक राष्ट्रीय क्षति हुई है। अपने ही रक्त संबंधी दलितों को धर्मातरण की विवशता भी महसूस हुई है। भारत का हरेक नागरिक राष्ट्र का अविभाज्य अंग है। सबमें प्रतिभा है। श्रम कर्म व्यक्तित्व को आकर्षक बनाते हैं। धन साधन और ज्ञार्नाजन का आदर है ही। राजनीतिक पद प्रतिष्ठा में चमक के साथ ठसक भी है। सभी लब्धियां मनुष्य के निजी श्रम व सामाजिक अनुकंपा का फल हैं, लेकिन जाति सबसे अलग, महत्वपूर्ण तत्व है। यह मनुष्य के श्रम का पुरस्कार नहीं। किसी सुविचारित योजना का भाग नहीं। इसकी सदस्यता ऐच्छिक नहीं। जन्म के साथ मिली जाति की सदस्यता से त्यागपत्र संभव नहीं। सरासर जबर्दस्ती की यह संस्था राष्ट्रीय एकता में बाधक है। सांस्कृतिक एकता की शत्रु है। सामान्य झगड़े भी जाति अस्मिता के कारण बड़ा रूप लेते हैं। जाति अमंगलदायी है। जाति कृत्रिम है और नितांत अवैज्ञानिक। राजनीति में इसका दुरुपयोग जारी है। केरल की दलित उत्पीड़न की घटना में कांग्रेस और वामदल मौन रहे और बिहार की घटनाओं पर भी। यूपी की घटनाओं पर बसपा, भाजपा मुखर रहीं। हरियाणा, मध्य प्रदेश और गुजरात की घटनाओं पर भी सुविधानुसार ही प्रतिक्रियाएं आईं। राहुल गांधी और दिल्ली के मुख्यमंत्री ने गुजरात का कार्यक्रम बनाया है। जाति को वोट बैंक बनाने वाले दल जाति का लाभ उठाते हैं। लेकिन भाजपा ने मायावती के विरुद्ध उप्र के एक पदाधिकारी की टिप्पणी पर तत्काल कार्रवाई की है। भाजपा की सोच स्पष्ट है। अन्य दल जाति भेद की सामंती सोच के विरुद्ध अभियान नहीं चलाते। समाज में भौतिक परिवर्तन लाना आसान है। रासायनिक परिवर्तन लाना श्रमसाध्य है। सत्ताबदल या आर्थिक विकास दर में वृद्धि भौतिक परिवर्तन हैं, लेकिन समाज के प्रत्येक व्यक्ति के चित्त में समता समरसता और बंधुत्व का भाव रासायनिक परिवर्तन है। महात्मा गांधी, डॉ. अंबेडकर, डॉ. हेडगेवार और डॉ. लोहिया आदि महानुभाव समाज में रासायनिक परिवर्तन लाने के लिए काम कर रहे थे। जाति भेद समाज की गतिशीलता में बाधक हैं। राजव्यवस्था ने 1989 में अनुसूचित जाति, जनजाति अत्याचार निवारण कानून (दलित एक्ट) बनाया। इस कानून में हजारों मुकदमें दर्ज हुए, आज भी दर्ज हो रहे हैं, लेकिन उत्पीड़न और भेदभाव नहीं रुके। मूलभूत प्रश्न है भारतीय समाज की भेदभावपूर्ण सामंती दृष्टि। भेदभाव की समाप्ति के लिए संविधान की उद्देशिका में लिखे गए 'सामाजिक आर्थिक व राजनीतिक न्याय दिलाने' के संकृप की भी उपेक्षा हुई है। सत्ता परिवर्तन होते रहे, हो भी रहे हैं, लेकिन सामाजिक परिवर्तन में जड़ता और स्थिरता है। समतामूलक समाज अपरिहार्य है। ऋग्वेद में जाति विभाजन नहीं है। उत्तरवैदिक काल में एक वर्ण से दूसरे में आवागमन था। वर्ण कर्मणा थे। जन्मना बनते ही जाति हो गए। जाति शोध का विषय है। डॉ. अंबेडकर ने कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयार्क में जाति की उत्पत्ति और विस्तार पर शोध प्रस्तुत किया था। डॉ. अंबेडकर ने मनु को जाति वर्ण का जन्मदाता नहीं माना। कहते हैं, जाति धर्म का नियम मनु द्वारा प्रदत्त नहीं है और न वह ऐसा कर ही सकता था। वह आगे कहते हैं, ब्राह्मण अनेक गलतियां करने के दोषी रहे हैं–और मैं कह सकता हूं कि वे ऐसे थे–लेकिन जाति व्यवस्था को गैर–ब्राह्मणों पर लादने की उनमें क्षमता नहीं थी। डॉ. अंबेडकर के अनुसार वर्ण के भीतर ही विवाह प्रथा लागू होने से जाति अस्तित्व में आई। यह सामाजिक विकास का परिणाम है। भारतीय सभ्यता दर्शन और संस्कृति के विकास में सभी वर्गो की भूमिका है। भारत को सांस्कृतिक राष्ट्र राज्य बनाने में हरेक वर्ग ने अपना कर्तव्य निभाया है। बावजूद इसके जाति आधारित हिंसा और भेदभाव क्यों है? दलित समुदाय भारतीय समाज का श्रमशील वर्ग है। अंग्रेजी सत्ता ने दलितों को पीड़ित करने के लिए 'क्रिमिनल ट्राइब एक्ट' बनाया था। दलित परिवार में जन्मा शिशु भी क्रिमिनल घोषित था। इस वर्ग ने बहुत दुख और संताप झेले हैं। स्वतंत्र भारत में भी 50 प्रतिशत दलित निर्धन हैं, जातीय अपमान के शिकार हैं। सामान्य जीवनयापन की सुविधाएं नहीं हैं। तमाम अपमान और कष्ट उठाकर भी वे यहां की ही संस्कृति और परंपरा में राष्ट्र निर्माण में संलग्न हैं।

समान नागरिक संहिता के पक्ष

अजीब बात है कि जब हिंदू मंदिरों, रीतियों पर शिकायत आती है तब हमारे शासक और न्यायाधीश भी खुदमुख्तार बन बैठते हैं। कभी 'विस्तृत विचार–विमर्श' या ज्ञानियों से जानने–समझने की जरूरत नहीं समझते। अभी हाल में शनि मंदिर में स्त्री–प्रवेश प्रसंग पर यह देखा गया। लेकिन जब इस्लामी मामलों की शिकायत आए तो आगा–पीछा, टालमटोल का अंत नहीं रहता। यहां तक कि जो चीज सीधा अन्याय और अमानवीय है, समानता के संवैधानिक सिद्धांत के विरुद्ध है तथा कई मुस्लिम देशों तक में वर्जित है उस पर भी रोक लगाने में हीला–हवाली करते हैं। इससे न्यायपालिका की निष्पक्षता नहीं दिखती। विचार–विमर्श तो असंख्य बार हो चुका है। एक सर्वेक्षण के अनुसार भारत में 84 प्रतिशत लोग समान नागरिक संहिता के पक्ष में हैं। इनमें बड़ी संख्या में मुस्लिम महिलाएं और पुरुष भी हैं। केवल कुछ मुस्लिम नेता और मजहबी संगठन इसका विरोध करते हैं। भारत में समान नागरिक कानून हो, यह संविधान सभा से लेकर सुप्रीम कोर्ट के अनेक फैसलों में भी कहा जा चुका है। संविधान में समान नागरिक संहिता बनाने का बिल्कुल स्पष्ट निर्देश है। इससे अलग यह तथ्य भी है कि दुनिया के किसी सभ्य देश में दो प्रकार के नागरिक कानून नहीं हैं। धार्मिक अल्पसंख्यक भारत ही नहीं, अमरीका, इंग्लैंड, फ्रांस, अरब और चीन में भी हैं। कहीं किसी समुदाय को अपने अलग मजहबी कानून की इजाजत नहीं है। सिर्फ भारत में यह भेद–भाव रखकर राष्ट्रीय एकता की प्रक्रिया रोके रखी गई है। सरला मुदगल मामले (1995) में सुप्रीम कोर्ट ने ही कहा था, 'विभाजन के बाद जिन्होंने भारत में रहना चुना वे बखूबी जानते थे कि भारतीय नेता दो–राष्ट्र, तीन–राष्ट्र के सिद्धांत नहीं मानते थे और भारतीय गणतंत्र में एक ही राष्ट्र रहेगा। मजहब के नाम पर कोई समुदाय अपना अलग कायदा चलाने का दावा नहीं कर सकता। चूंकि पर्सनल लॉ की उत्पत्ति विधायी उपायों से हुई थी इसलिए उसे एक समान नागरिक संहिता बनाकर खत्म या संतुलित किया जा सकता है। उसी में सुप्रीम कोर्ट ने यह भी फैसला दिया था कि विवाह, संपत्ति का उत्तराधिकार आदि मामले धार्मिक स्वतंत्रता के तहत नहीं आते, बल्कि कोर्ट ने जोर देकर रेखांकित किया था कि भारत में 'मुस्लिम पर्सनल लॉ का जन्म मजहब से नहीं, बल्कि लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स के बनाए कानून से हुआ था। 1791 में यहां वह कानून आया जिसके अनुसार शादी, तलाक तथा संपत्ति विरासत के मामलों में मुसलमान और हिंदू अपने–अपने धार्मिक चलन से अलग–अलग चल सकते थे। 1832 में ब्रिटिश सरकार ने आपराधिक मामलों में मुस्लिम लॉ को खत्म कर एक समान अंग्रेजी कानून लागू कर दिया। इससे साफ है कि इस्लामी शरीयत अनुल्लंघनीय नहीं है। इसी कारण भारत में मुस्लिम अपराधियों को हाथ काटने, पत्थर मार–मार कर जान लेने, कोड़े लगाने जैसे दंड नहीं मिलते, जैसा शरीयत कहता है, बल्कि हिंदू अपराधियों वाली सजाएं ही मिलती हैं। मगर सिविल मामलों में, शादी, तलाक या संपत्ति के मामलों में हिंदुओं और मुसलमानों को अलग–अलग कर के ब्रिटिश शासकों ने सचेत रूप से फूट और अलगाव को बढ़ावा दिया था। उसका इस्तेमाल भी किया था। उसी नीति को स्वतंत्र भारत में भी कई शासकों ने खुले–छिपे इस्तेमाल किया। इस घातक गलती को ठीक करने के बजाए 'विचार–विमर्श' की बात भगोड़ापन है। सुप्रीम कोर्ट एक बार नहीं, कम से कम तीन बार और समान नागरिक संहिता बनाने को कह चुका है। दो मामले चर्चित भी हुए थे। जोरेन दियेनगेध बनाम एसएस चोपड़ा (1985) तथा मोहम्मद अहमद खान बनाम शाहबानो बेगम (1985)। शाहबानो मामले में मुख्य न्यायाधीश वाईवी चंद्रचूड़ ने फैसले में लिखा, धार्मिक स्वतंत्रता हमारी संस्कृति की नींव है। लेकिन जो धार्मिक रीति मनुष्य की मर्यादा, मानव अधिकार का उल्लंघन करती हो वह स्वतंत्रता नहीं, उत्पीड़न है। इसलिए उत्पीड़ितों की रक्षा और राष्ट्रीय एकता के विकास के लिए एक समान नागरिक संहिता परम आवश्यक है। अत: उतने स्पष्ट, सुचिंतित फैसले के बाद अब नए सिरे से किस 'विमर्श' की जरूरत हो रही है? यह सब सीधा टाल–मटोल और टाइम–पास लगता है। अच्छी तरह समझ लेना चाहिए कि इस रवैये के पीछे समुदायों में समानता व भाईचारा बढ़ाने की नहीं, वरन उसे तरह–तरह से बांटे रखकर वोट–बैंक राजनीति चलाने की मंशा रही है। कांग्रेसी और वामपंथी कई अर्थों में उसी नीति पर चलते रहे, जिस पर अंग्रेज थे। अंग्रेजों ने विभिन्न समुदायों के लिए अलग निर्वाचक मंडल, अलग पर्सनल लॉ, अलग अनुसूची, आरक्षण आदि आविष्कार भारतवासियों में फूट, लोभ और ईर्ष्या पैदा करने के लिए किया था। उसी नीति का प्रयोग देशी शासक स्वतंत्र भारत में भी कर रहे हैं। अन्यथा जिस पर संविधान का निर्देश स्पष्ट हो, जिसे भारत की 84 प्रतिशत जनता का समर्थन प्राप्त हो उसे न लागू करने के पीछे और क्या कारण है? यहां तक कि संयुक्त राष्ट्र ने भी कहा है कि भारत को सभी नागरिकों के लिए परिवार संबंधी एक समान सेक्युलर कानून बनाना चाहिए। यहां इस्लामी पर्सनल लॉ केवल मुस्लिम औरतों के अमानवीय शोषण को जारी रखने एवं मुसलमानों को हिंदुओं से दूर तथा अलग रखने के काम आता है। इसे खत्म किए बिना उन्हें मुख्यधारा में लाना और सहज रूप से विकसित होना रुका ही रहेगा। खुद सुप्रीम कोर्ट ने यह भी नोट किया है कि सामुदायिक भेद–भाव चलते रहने से एक समुदाय को अपने प्रति अन्याय और दूसरे को अपने उच्चाधिकार, विशेषाधिकार का घमंड का बोध होता रहता है। तब क्या होता है? सुप्रीम कोर्ट के ही शब्दों में जब अन्याय बिल्कुल स्पष्ट हो तो वह संवेदनशील लोगों की सहनशक्ति से बाहर हो जाता है। इस चेतावनी को भुलाना और टाल–मटोल करना अन्याय और असंतोष को बढ़ावा देना है। हर हाल में कोई भी अन्याय जारी रहना शासन और न्याय–व्यवस्था के लिए लज्जास्पद है। एक भारत में दो कानून, तीन तलाक और चार बीवियों का चलन खत्म होना ही चाहिए। खुद मुस्लिम महिलाओं को इससे सर्वाधिक सुख होगा। हिंदुओं को नहीं। हिंदुओं का हित समान नागरिक संहिता से जुड़ा हुआ नहीं, बल्कि संविधान की धारा 25–31 को सब के लिए समान रूप से लागू करने से जुड़ा है।

भारत में ''युवा माताओं की स्थिति''

नई दिल्ली: हर साल मई का दूसरा रविवार दुनिया भर में मदर्स डे के रूप में मनाया जाता है, वहीं दूसरी ओर भारत में 3 मिलियन युवतियां समय से पहले मातृत्व की ज़िम्मेदारी को उठा रही हैं, जबकि उनका मन और शरीर इस ज़िम्मेदारी के लिए तैयार नहीं है। भारत में 19 साल से कम उम्र की 3.8 मिलियन किशोरियां हैं जो माँ बन चुकी है, इनमें से 1.4 मिलियन लड़कियां ऐसी हैं जो अपनी किशोरावस्था पूरी करने से पहले ही 2 या अधिक बच्चों को जन्म दे चुकी हैं।

चौंका देने वाले ये आंकड़े 2011 की जनगणना से लिए गए हैं, जिनमें सुधार के कोई संकेत दिखाई नहीं देते। हाल ही में जारी (राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 2015-16) के आंकड़ें इस स्थिति की पुष्टि करते हैं, सर्वेक्षण के समय 15-19 आयुवर्ग की तकरीबन 4.5 मिलियन लड़कियां हैं जो या तो गर्भवती हैं या माँ बन चुकी हैं।

कम उम्र में ही शादी हो जाने और उसके तुरन्त बाद बच्चों को जन्म देने के कारण इन लड़कियों के मानसिक एवं शारीरिक स्वास्थ्य पर बुरा असर पड़ता है, जो अन्तत: इनके बच्चों को भी प्रभावित करता है। ठीक से देखभाल न होने और पर्याप्त पोषण की कमी के चलते, खास तौर पर इतनी कम उम्र में जबकि उनका शरीर बच्चे को जन्म देने के लिए तैयार नहीं हैं, इनमें एनिमिया (खून की कमी), अन्य बीमारियों की सम्भावना होती है, साथ ही इनके बच्चे भी कुपोषण का शिकार बन जाते हैं।

समय से पहले शादी होने से लड़कियां शिक्षा के अधिकार से वंचित रह जाती है। आपको यह जानकर हैरानी होगी कि 39 फीसदी किशोर (10-19 साल) शादी-शुदा माताएं पढ़ी लिखी नहीं हैं। अगर माँ पढ़ी-लिखी हो तो बच्चों का स्वास्थ्य बेहतर होने की सम्भावना कई गुना बढ़ जाती है। के अनुसार वे माताएं जो पढ़ी-लिखी नहीं हैं उनके बच्चों की स्टंटिंग (विकास अवरुद्ध होना) के आंकड़े 51 फीसदी हैं जबकि जिन मामलों में माँ ने अपनी स्कूली शिक्षा पूरी की है, वहाँ बच्चों की स्टंटिंग के आंकड़े 31 फीसदी हैं। इसी तरह के रुझान स्वास्थ्य सम्बन्धी अन्य संकेतकों में भी सामने आए हैं जैसे बच्चों का वज़न सामान्य से कम होना, किसी संस्था में प्रसव और बच्चों का सम्पूर्ण टीकाकरण आदि। (1)

पाक पर करारा प्रहार

भारत ने संयुक्त राष्ट्र में कश्मीर के मुद्दे पर कुतर्क के लिए पाकिस्तान पर करारा प्रहार किया है। हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मुठभेड़ में मारे जाने के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र में उठाने के लिए पाकिस्तान को कड़ा जवाब देते हुए भारत ने कहा है कि पाकिस्तान आतंकवादियों की स्तुति करता है और दूसरे देशों की जमीन पर कब्जा करने के लिए आतंकवाद को अपनी नीति के रूप में प्रयोग करता है। गत दिनों 193 देशों की सदस्यता वाली संयुक्त राष्ट्र महासभा में मानवाधिकार पर बहस के दौरान संयुक्त राष्ट्र में भारत के राजदूत सैयद अकबरुद्दीन ने पाकिस्तान की प्रतिनिधि मलीहा लोधी के कश्मीर और बुरहान वानी की मौत पर दिए बयान की कड़ी निंदा की थी। लोधी ने अपने बयान में कश्मीर मुद्दे से इतर भारतीय सुरक्षा बलों के हाथों वानी की मौत को एक्स्ट्रा जुडिशियल बताया था। इतना ही नहीं, बुरहान वानी को उन्होंने कश्मीरी नेता की संज्ञा दी थी। अकबरुद्दीन ने जोर देकर कहा कि दक्षिण एशिया में मानवाधिकारों के हनन का सबसे बड़ा कारण पाकिस्तान है। उन्होंने तर्क दिया कि पाकिस्तान एक ऐसा देश है जो दूसरों की जमीन पर बुरी नजर रखता है और जो आतंकवाद को अनियंत्रित स्टेट पॉलिसी के रूप में प्रयोग करता है। अकबरुद्दीन के शब्दों में पाकिस्तान आतंकवादियों को हरसंभव तरीके से प्रोत्साहन, समर्थन और संरक्षण देता है। यहां तक कि वह उन आतंकियों को भी हरसंभव सहायता दे रहा है जिन्हें संयुक्त राष्ट्र के स्तर पर आतंकी घोषित किया जा चुका है। पाकिस्तान मानवाधिकारों की रक्षा का ढोंग कर रहा है, जबकि वह खुद मानवाधिकारों के उल्लंघन में लिप्त है। भारतीय प्रतिनिधि ने पाकिस्तान को मानवाधिकारों के उल्लंघन के मामले में आईना दिखा दिया है कि वह पहले अपना ट्रैक रिकार्ड देखे। अकबरुद्दीन ने ध्यान दिलाया कि पाकिस्तान इसी संयुक्त राष्ट्र में मानवाधिकार परिषद की सदस्यता हासिल करने के लिए अंतरराष्ट्रीय समुदाय को भरोसा नहीं दिला पाया है। अंतरराष्ट्रीय समुदाय पाकिस्तान के इस पैंतरे को लंबे समय से देखता आ रहा है। पाकिस्तान संयुक्त राष्ट्र में भारत को बदनाम करने के लिए लंबे समय से पैंतरेबाजी कर रहा है, लेकिन न तो संयुक्त राष्ट्र और न ही किसी अन्य मंच को उसकी बातों में कोई तर्क नजर आया है। पिछले दिनों पाकिस्तान ने कश्मीर में भारत की कथित आक्रामकता के मुद्दे को संयुक्त राष्ट्र की मानवाधिकार परिषद, ऑर्गनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन और यूरोपीय संघ के समक्ष उठाया गया। इसके जवाब में अकबरुद्दीन ने संयुक्त राष्ट्र महासभा के समक्ष भारत के सिद्धांतों को रखते हुए अपनी बात कही। उन्होंने कहा कि विविधतापूर्ण, बहुलतावादी और सहिष्णु समाज के रूप में भारत विधि के शासन, लोकतंत्र और मानवाधिकारों की रक्षा के प्रति प्रतिबद्ध है। ये गुण भारत के मूल चरित्र में निहित हैं। अकबरुद्दीन द्वारा पाकिस्तान को करारा जवाब दिए जाने के बाद यह कहा जा सकता है कि पाकिस्तान ने हिजबुल कमांडर बुरहान वानी के मारे जाने के बाद कश्मीर घाटी में पैदा हुए हालात का फायदा उठाने की संयुक्त राष्ट्र में जो कोशिश की थी वह एक बार फिर नाकाम रही। पाकिस्तान के विदेश मामलों के सलाहकार सरताज अजीज ने कहा कि भारत सेना के बल पर आत्मनिर्णय के अधिकार के लिए संघर्ष कर रहे कश्मीरियों की आवाज को दबा नहीं सकता है। भारत कश्मीर पर कब्जा कर मानवाधिकारों का उल्लंघन कर रहा है। दरअसल आजादी के बाद से ही पाकिस्तान को यह लगता रहा है कि चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुल इलाका है इसलिए वह भारत से उसे किसी भी तरह हासिल कर सकता है। जाहिर है, इस बाहरी हस्तक्षेप के न रहने पर कश्मीर के हालात पर आसानी से नियंत्रण पाया जा सकता है।

आतिफ असलम ने वीडियो कॉल के माध्यम से गीत रिकॉर्ड किया है

कोई भी अच्छा गायक और अच्छे गीत को दूर नहीं रख सकता है खासकर जब गायक एक गीत के प्यार में है और किसी भी कीमत पर इसे रिकॉर्ड करना चाहता है। रेस 2 – बन रहें और बदलापुर – जीना जीना फेम गायक आतिफ असलम ने वही काम किया।आतिफ असलम, जो पाकिस्तान में स्थित है, ने पलाश मुहल से गीत मुसाफिर सुना और वह गीत के साथ प्यार में गिर गया। दरअसल, उन्होंने जोर देकर कहा कि वह खुद ही रिकॉर्ड करता है लेकिन काम की प्रतिबद्धता के कारण, इस गीत को रिकॉर्ड करने के लिए उन्हें भारत जाने के लिए मुश्किल हो गया था। तो आतिफ ने पाकिस्तान में गाना रिकॉर्ड किया और इसे पलाश मुछल को भेज दिया।आटीफ एक मणि जैसा व्यक्ति का एक मणि है, जब मैंने उसे गीत मुसाफिर के बारे में बात की तो वह ट्रैक रिकॉर्ड करना चाहते थे। हमने पाकिस्तान में एक विशेष व्यवस्था की थी ताकि वह गाना रिकॉर्ड कर सके और इसे हमें भेज सके। गीत शानदार ढंग से बाहर आ गया है और मुझे यकीन है कि यह एक बड़ा हिट होगा। पलाश कहते हैं यह गीत एक वीडियो कॉल के माध्यम से दर्ज किया गया था। पलाश फ़ेफैक के जरिए आतिफ का निर्देशन । यह पलाश मुछल और आतिफ दोनों के लिए एक अलग अनुभव था क्योंकि यह उनके लिए पहली बार था कि उन्होंने इस अनूठे तरीके से गाना दर्ज किया। पलाश हिमांश कोलही और जोया अफरोज की अगली फिल्म स्वीटी वेड्स एनआरआई के संगीत निर्देशक हैं। (19-10)

लैंक्सेस को 2017 में कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतर परिणाम की उम्मीद

स्पेशियलिटी केमिकल्स कंपनी लैंक्सेस ने कंपनी के इतिहास में सबसे बेहतरीन परिणाम आने का अनुमान लगाया है। कंपनी ने वर्ष 2017 की पहली तिमाही में बेहद शानदार प्रदर्शन करने और यूएस स्थित कंपनी केमतुरा का सफ्लतापूर्वक अधिग्रहण पूरा करने के बाद यह भविष्यवाणी की है।

स्पेशियलिटी केमिकल्स कंपनी की वैश्विक बिक्री वर्ष 2017 की पहली तिमाही में 25 प्रतिशत की बढ़त के साथ 2.4 बिलियन यूरो पहुंच गई। यह पिछले साल के 1.9 बिलियन यूरो से अधिक रही। ईबीआइटीडीए प्रि एक्सेपशनल्स भी वर्ष 2016 की पहली तिमाही के 262 मिलियन यूरो से 25 प्रतिशत सुधरकर 328 मिलियन यूरो रहा। पहली तिमाही के सकारात्मक परिणाम सभी वर्गों में वॉल्यूम में हुई महत्वपूर्ण बढ़ोतरी द्वारा संचालित हैं।

ईबीआइटीडीए मार्जिन प्रि एक्सेपशनल्स 13.7 प्रतिशत रहा। यह पिछले साल की समान अवधि के 13.6 प्रतिशत की तुलना में मामूली अधिक था। शुद्ध आय गत वर्ष की समान तिमाही के 53 मिलियन यूरो की तुलना में 47 प्रतिशत की बढ़त के साथ 78 मिलियन यूरो पहुंच गई। पूर्ण वर्ष 2017 के लिए, कंपनी ने ईबीआइटीडीए प्रि एक्सेपशनल्स 1.225 बिलियन से 1.3 बिलियन यूरो के बीच रहने की उम्मीद जताई है। इस भविष्यवाणी में नई अधिग्रहीत केमतुरा बिजनेस से कमाई में होने वाला योगदान भी शामिल है। वर्ष 2017 कंपनी के इतिहास में सबसे सफ्लतम वित्तीय वर्ष हो सकता है। लैंक्सेस ने अभी तक 2012 में अपने सर्वाधिक परिचालन परिणाम प्राप्त किये हैं, जब इसने 1.2 बिलियन यूरो का आंकड़ा हासिल किया था।

मैथियास जैशर्ट, बोर्ड ऑफमैनेजमेंट, लैंक्सेस एजी के चेयरमैन ने कहा, ''लैंक्सेस ने नये वित्तीय वर्ष में शानदार शुरूआत की है। हमने हमारे व्यावसाय के सभी वर्गों में मांग में बढ़ोतरी दर्ज की है और सभी क्षेत्रों में सर्वाधिक बिक्री की। यह स्पष्ट तौर पर दर्शाता है कि हम सही स्थिति में हैं।'' ''बेहतर ऑर्डर फ्लो और गतिशील कारोबारी परिवेश दूसरी तिमाही में भी जारी रहेगा– पूरे वर्ष के लिए हम रिकॉर्ड कमाई की उम्मीद कर रहे हैं। यह हमारी परिचालनीय ताकत का स्पष्ट संकेत हैं, जिसे केमतुरा के अधिग्रहण से और बेहतर बनाया जायेगा। हमारा काम अब यह सुनिश्चित करना है कि हम सुचारू ढंग से नये व्यावसायों का एकीकरण करे।''लैंक्सेस ने अपने पुनर्गठन प्रोग्राम में एक और बड़ा कदम उठाया है। कंपनी ने तीन सप्ताह पहले यूएस की केमिकल कंपनी केमतुरा का अधिग्रहण समाप्त कर लिया है। अपने इतिहास में सबसे बड़े अधिग्रहण के साथ, कोलोन स्थित कंपनी अपने एडिटिव्स पोर्टफोलियो को उल्लेखनीय ढंग से विस्तारित कर रही है और हम इस बढ़ते बाजार में दुनिया की प्रमुख कंपनी में से एक होंगे। (19-10)

संपादक–चुनीलाल एस. भट्ट, मुद्रक एवं प्रकाशक–मयुर सी. भट्ट, प्रकाशन स्थल–201, 202, 208 नंदन कोम्पलेक्ष, मीठाखली, अहमदाबाद–6. मालिक–कल्याणी पब्लिकेशन प्रा.लि. द्वारा महादेव ऑफसेट, बी–4, रवि एस्टेट, रूस्तम मिल कम्पाउंड, दूधेश्वर, अहमदाबाद में छपवाकर प्रकाशित किया। फोन–26568477, 26409779.
E : alpaviram1@yahoo.com

अंधेरी और गंदी तलछट के शिकार

पिछले दिनों उत्तराखंड और अरुणाचल प्रदेश खबरों में रहे। दोनों राज्यों में कांग्रेस की चुनी हुई सरकारों को केंद्र की सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा ने अस्थिर किया और फिर राज्यपालों ने उन्हें बर्खास्त कर दिया। इन दोनों ही राज्यों में कांग्रेस को अदालत ने बचा लिया, लेकिन यह देखना होगा कि ये सरकारें कितनी टिकाऊ हो पाती हैं? उत्तराखंड व अरुणाचल के संकट भाजपा और उसके पार्टी अध्यक्ष की अतिआक्रामकता का नतीजा है। हालांकि, कांग्रेस का भी दामन बहुत साफ नहीं है। अरुणाचल प्रदेश 1987 में बना और उत्तराखंड का गठन सन 2000 में हुआ। ये ताजा घटनाएं बताती हैं कि ये अपेक्षाकृत युवा राज्य कैसे हमारी राजनीति की अंधेरी और गंदी तलछट के शिकार हो रहे हैं। इससे ज्यादा बुरा यह है कि कैसे अरुणाचल व उत्तराखंड लगातार आर्थिक 'विकास' के भारतीय 'मॉडल' की अंधेरी और गंदी तलछट के शिकार बने हैं। उत्तराखंड व उत्तराखंडियों की तकलीफ का बहुत अच्छा बयान हृदयेश जोशी की किताब तुम चुप क्यों रहे केदार में है। जोशी अनुभवी व उत्साही पत्रकार हैं, जो खुद उत्तराखंड के ही हैं। केदारनाथ त्रासदी ऐन पर्यटक मौसम में हुई थी, जब देश भर के लाखों लोग वहां घूमने या तीर्थ करने के लिए गए थे। हृदयेश जोशी की किताब केदारनाथ त्रासदी और उसके बाद की उनकी रपटों पर आधारित है। उनकी किताब में उन लोगों की कहानियां हैं, जो मारे गए या जो बच गए और उनकी भी, जिन्होंने जिंदगियां बचाईं। उनकी कथा के नायकों में हेलीकॉप्टर पायलट और प्रशिक्षित पर्वतारोही हैं, जिन्होंने हजारों पर्यटकों और ग्रामीणों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया। खलनायक नेता और अफसर हैं। जोशी लिखते हैं कि इस त्रासदी का एक भयानक पहलू यह था कि जरूरत के वक्त प्रशासन या तो नदारद था या वह निहायत अक्षम साबित हुआ। खासतौर पर तत्कालीन मुख्यमंत्री विजय बहुगुणा का व्यवहार अत्यंत दुखद था, जो त्रासदी के स्थान पर जाने की बजाय भागकर दिल्ली आ गए, जहां वह एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में अपनी सरकार की उपलब्धियों का बखान करते रहे। प्राकृतिक आपदाएं रोकी नहीं जा सकतीं, लेकिन उनके प्रभाव जरूर कम किए जा सकते हैं। जून 2013 में गढ़वाल में बादल फटने की घटना से इतने लोग नहीं मरते, अगर पहाड़ों में व्यावसायिक कारणों से जंगल की कटाई न हुई होती और बेतरतीब खनन व बांधों के निर्माण से पर्यावरण नष्ट न कर दिया गया होता। नदियों के किनारे होटल बनाने में पर्यावरण और अन्य सुरक्षा– नियमों की अवहेलना की वजह से भी बहुत जानें गईं। इस किताब में एक भयावह उदाहरण दिया गया है कि कैसे बाहरी लोगों के व्यावसायिक हितों की वजह से कई उत्तराखंडी मारे गए। 13 जून, 2013 को विष्णु प्रयाग बांध का जलस्तर बढ़ने लगा। ग्रामीणों ने इस परियोजना को चलाने वाली कंपनी जेपी ग्रुप के अधिकारियों के ध्यान में यह बात लाई। उन्होंने अतिरिक्त पानी को बहाने के लिए बांध के दरवाजे खोलने का आग्रह किया। मगर ज्यादा बिजली पैदा करने के लालच में अधिकारियों ने उनके आग्रह पर ध्यान नहीं दिया। जब पानी बढ़ता चला गया, तो बांध की एक दीवार ढह गई और पानी गांव और ग्रामीणों को लीलता हुआ घाटी में बह निकला। इस तरह की कई आपदाएं उत्तराखंड के नागरिकों पर टूटती रही हैं, लेकिन होटल और निर्माण लॉबी के अवैध अतिक्रमण, बेतरतीब बांधों के निर्माण और नष्ट हुए जंगलों की वजह से जो नुकसान हो रहा है, उस पर उस हादसे के बाद भी ध्यान नहीं दिया गया। यह उत्तराखंड में चल रहे विध्वंस की कहानी है। अरुणाचल में इसी के समानांतर चलती प्रक्रिया को समझने के लिए अंकुश सैकिया का एक ताजा लेख अरुणाचल्स ग्रेट हाइड्रो गेम पढ़ना चाहिए। सैकिया पड़ोसी राज्य असम के मूल निवासी हैं, जिन्होंने अरुणाचल में विशाल बांध बनाने की अंधी दौड़ पर गंभीर शोधपूर्ण विश्लेषण प्रस्तुत किया है। अरुणाचल में 156 बांध परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। इनमें वही सारी कंपनियां शामिल हैं, जो केंद्र और राज्य में हर पार्टी की सरकार के साथ तालमेल बिठाए हुए हैं। ये सारी परियोजनाएं बिना किसी विचार–विमर्श या बहस के तय की गई हैं, जिनमें राज्य के नेताओं ने अग्रिम भुगतान के एवज में दस्तखत कर दिए हैं। सैकिया ने एक ऐसे अधिकारी से बात की, जो बांधों के समर्थन में हैं, फिर भी सलाह या विचार–विमर्श न किए जाने से परेशान हैं। उनके मुताबिक, पहले राज्य सरकार को ग्रामीणों से बात करनी चाहिए थी।

पश्चिम रेलवे
नई लाइन कार्य
उप मुख्य संकेत और टेलिकोम अभियंता (निर्माण), द्वितीय तल, अनेक्ष बिल्डिंग, डीआरएम कार्यालय, प्रतापनगर, पश्चिम रेलवे, वडोदरा की ओर से खुली **निविदा नं. एसएंडटी/बीआरसी/८१/२०१७-१८ सकेत। कार्य का नाम :** ''पश्चिम रेलवे के वडोदरा मंडल पर छोटा उदेपुर–धार सेक्शन के बीच नई लाइन कार्य से जुडे एलसी गेट के साथ खंडवावाला और जोबत स्टेशन के बीच डिजाइन, सप्लाई, इन्स्टोलेशन, प्रोग्रामिंग, टेस्टींग और इंटरलोकिंग सिस्टम (इनडोर एंड आउटडोर) कार्य।'' **कार्य की अनुमानित लागत:** रु.5,67,65,116/– **(4) ईएमडी:** रु.4,33,830/ – **ई–निविदा जमा करवाने और ई–निविदा खुलने की तारीख और समय :** 19–06–2017 को दोपहर 3.00 बजे और 19–06–2017 को दोपहर 3.30 बजे। निविदा प्रपत्र सहित सहित पूर्ण जानकारी वेबसाइट www.ireps.gov.in पर उपलब्ध है।
Like us on: facebook.com/WesternRly 16

सूचना
कृपया आपके विज्ञापन व समाचार हमारे निम्न लिखित ई–मेल पर ही भेंजे :
alpaviram@gmail.com

सिद्धू और भाजपा

नवजोत सिंह सिद्धू ने एक बार कहा था – आपको किसी एक का चयन करना ही होगा कि आपको अपनी बेल्ट कसनी है या अपनी पतलून गंवानी है। पंजाब में भाजपा का भी कुछ यही हाल है। सही समय पर सख्त सियासी फैसले न ले पाने के कारण यह पार्टी इस उत्तरी राज्य में अपनी इज्जत गंवाते हुए मतदाताओं की हंसी का पात्र बन गई है। भाजपा को यहां प्रमुख सत्ताधारी पार्टी शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के साथ जुड़ाव की वजह से लगातार शर्मिंदगी झेलनी पड़ रही है। वर्ष 2014 के लोकसभा चुनाव में अरुण जेटली की अमृतसर लोकसभा सीट पर हुई हार को भला कौन भूल सकता है। किंतु रहस्यमय तरीके से फिर भी भाजपा अकाली दल से गठबंधन जारी रखे हुए है। भाजपा की राज्य इकाई बीते लगभग दो साल से अकाली दल से अलग होने के पक्ष में राय दे रही है, लेकिन केंद्रीय नेतृत्व मानो इन बातों को सुनना ही नहीं चाहता। शेरी पाजी पंजाब में भाजपा का सबसे लोकप्रिय चेहरा थे, लेकिन बादल से उनके तनावपूर्ण रिश्तों के चलते उन्हें लगातार हाशिए पर धकेला जा रहा था। वर्ष 2006 में उन्हें एक हत्या के मामले में कोर्ट से राहत मिली (अटकलों के मुताबिक इसमें उन्हें अरुण जेटली की भी कुछ मदद मिली थी) और वर्ष 2007 में उन्होंने अमृतसर लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में जीत हासिल की। वर्ष 2009 के चुनाव में वे फिर जीते, लेकिन इसके बाद उनके बादल खानदान से रिश्तों में खटास आने लगी। अरुण जेटली ने मामला सुलझाने की कोशिश भी की, लेकिन वे नाकाम रहे।